



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 02 (F) में सम्मिलित एवं छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26/2004 द्वारा स्थापित

दूरभाष: 07752-240702 फैक्स: 07752-213073, www.pssou.ac.in, Email: registrar@pssou.ac.in

क्रं./1982/पो. मै. छा. शा/2019

बिलासपुर, दिनांक: 16/01/2019

प्रति,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

विषय – सत्र जनवरी-दिसम्बर 2018 एवं सत्र जुलाई-जून 2018-19 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन में तिथि वृद्धि के विषय में।

संदर्भ – आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जन जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./101/2018-19/9684 रायपुर, दिनांक 14/01/2019।

-----000-----

उपरोक्त विषय के अनुक्रम एवं संदर्भित पत्र के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय केंद्र एवं उनके अधीनस्थ अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र जनवरी-दिसम्बर 2018 एवं सत्र जुलाई-जून 2018-19 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन, स्वीकृति एवं विवरण कार्यवाही [tribal.cg.gov.in/escholarship](http://tribal.cg.gov.in/escholarship) वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

आवेदन करने एवं संस्था स्तर पर उक्त प्रकरणों से संबंधित प्रक्रियाओं हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई है –

क्रं.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 16.01.2019 से 30.01.2019 तक
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु (संस्था स्तर)	दिनांक 16.01.2019 से 20.02.2019 तक
3.	Sanction Order Lock करने हेतु (संस्था स्तर)	दिनांक 16.01.2019 से 11.03.2019 तक
4.	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु (संस्था स्तर)	दिनांक 25.03.2019 तक

उपरोक्त निर्धारित अंतिम तिथि 30.01.2019 तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करने एवं आवेदन की हार्डकॉपी, आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 20.02.2019 तक विश्वविद्यालय को प्राप्त न होने पर आपके आवेदनों को ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे। छात्रवृत्ति KYC रिपोर्ट पर दिनांक 20.03.2019 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय मुख्यालय में आवेदक स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर करें। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् यदि संबंधित विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जावेगी तो ऐसे आवेदनों को प्रोसेस नहीं किये जायेंगे जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोट :- “ऑनलाइन आवेदन भरते समय Institute Code – 5709 का उपयोग करें”।

o/c

Rishabh  
कुलसचिव  
f

पृ. क्रं. /1988/पो. मै. छा. शा/2019  
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक: 16 /01/2019

1. कुलपति जी के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय समन्वयक ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विश्वविद्यालय के वेबसाइट प्रभारी को सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- ✓ 5. कार्यालय प्रति।

Rishabh  
कुलसचिव  
f

o/c